भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 328
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: खरीफ की खेती का विविधीकरण

***328. श्री जगदम्बिका पालः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार धान के साथ-साथ मोटे अनाजों और तिलहनों को शामिल करके खरीफ की खेती में विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो खरीफ के मौसम के दौरान, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, मोटे अनाजों, श्रीअन्न और तिल हनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध योजनाओं अथवा प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे विविधीकरण के कृषि संबंधी और आर्थिक लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) अथवा कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जागरूकता या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने मोटे अनाजों और तिलहनों की फसलों के लिए उचित खरीद मूल्य, बाजार सुलभता और मूल्य श्रृंखला सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"खरीफ की खेती का विविधीकरण" के संबंध में दिनांक 12 अगस्त, 2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 328 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2013-14 से हरित क्रांति वाले मूल राज्यों अर्थात् हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है ताकि खरीफ धान की फसल के क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती की जा सके। वर्ष 2015-16 से प्रमुख तम्बाकू उत्पादक राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तम्बाकू की फसल हेतु विविधता लाने के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम का विस्तार किया गया। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धित उत्पादों, स्थल-विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) के अंतर्गत दलहन, मोटे अनाज, मिलेट्स, पोषक अनाज (श्रीअन्न), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)-तिलहन के अंतर्गत तिलहन और समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के अंतर्गत बागवानी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन भी प्रदान करती है। राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एस.एल.एस.सी.) के अनुमोदन से पीएम-आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत राज्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने राज्य सरकारों के विस्तार अधिकारियों और किसानों के बीच टेक्नॉलजी के मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (खरीफ मौसम के मोटे अनाज और तिलहन सहित) की नई टेक्नॉलजी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) सहित देश भर में कुल 731 के.वी.के. स्थापित किए हैं। एग्रीकल्चर टेक्नॉलजी मैनेजमेंट एजेंसी (ए.टी.एम.ए.) योजना उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करना और फार्म स्कूलों का आयोजन आदि के माध्यम से फसल विविधीकरण, एकीकृत कृषि प्रणाली, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक खेती आदि सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नई टेक्नॉलजी और अच्छी कृषि पद्धतियों के विषय में बड़ी संख्या में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करना है।

सरकार मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय करती है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। मोटे अनाज और तिलहन फसलों सहित कृषि उपज के लिए किसानों की बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे (i) निजी बाजारों, किसान-उपभोक्ता बाजारों की स्थापना को बढ़ावा देना, प्रोसेसर/निर्यातकों/अन्य थोक खरीदारों द्वारा फार्म गेट से सीधी थोक खरीद और गोदामों को मार्केट-यार्ड घोषित करना; (ii) मंडियों में और मंडियों से बाहर ई-नाम का विस्तार करना और (iii) किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को बढ़ावा देना, विशेष रूप से तिलहन और मिलेट्स के लिए कमोडिटी विशिष्ट एफपीओ को ताकि इन एफ.पी.ओ. के किसान-सदस्यों को मार्केट लिंकेज प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग (आई.एस.ए.एम.) के तहत एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (ए.एम.आई.), एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड (ए.आई.एफ़.) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के तहत फसलोपरांत और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रही है।

मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय पूल के तहत एम.एस.पी. पर किसानों से ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी और छह माइनर मिलेट्स खरीदने की अनुमति है, जो कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के परामर्श से भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन है। तिलहन की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की "प्रधानमंत्री - अन्नदाता आय संरक्षण अभियान" के तहत एम.एस.पी. पर की जाती है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एन.एम.ई.ओ.-ओ.एस.) के तहत, देश भर में 600 से अधिक वैल्यू चेन क्लस्टर्स चिह्नित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह मिशन तिलहन संग्रहण, तेल निष्कर्षण और रिकवरी की क्षमता बढ़ाने के लिए, मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्षमता या दक्षता में सुधार सहित फ़सलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए सरकारी/निजी उद्योगों, एफ़.पी.ओ. और सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करता है।

*****